पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 381/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-31.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 31.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना पवई-चोरी की तीन घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए चोरी गये सामान (एक कामर्शियल गैस सिलेण्डर, बर्तन व नकदी) के साथ 02 शातिर चोर गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

1.दिनांक 30.12.2024 को वादी अभिषेक यादव पुत्र अच्छेलाल निवासी विशेषा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में दिनांक 29.12.24 को प्रार्थी अपने घर से ग्राम सरायपुल जा रहा था कि रास्ते में अण्डा खाने के लिये दुकान पर रुका और फोन से अपने पिता को फोन लगाकर कान के पास लगाया तभी दो अज्ञात व्यक्ति दो पहिया वाहन से मोबाइल झपट्टा मारकर लेकर भाग गये, के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 380/24 अन्तर्गत धारा 304 बीएनएस विरुद्ध अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

2.दिनांक 13.09.24 को वादी प्रधानाध्यापक कालिका प्रसाद राय प्रा0वि0 हमीरपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय के कार्यालय के आलमारी, कक्षा कक्ष में रखे हुए बड़े बाक्स का ताला तोड़कर कुछ खेल सामाग्री, कामर्शियल गैस सिलेण्डर, 02 बोरी चावल (100 किलो ग्राम) व 01 बोरी गेहूं (50 किलोग्राम) उठा ले जाने के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 312/24 अन्तर्गत धारा 331(4)/305(e) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़ बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 12.11.24 को आवेदक ऋषभ तिवारी पुत्र तेजनारायन तिवारी, ग्राम रामपुर कला (बासूपुर) थाना पवई जनपद आजमगढ ने उपस्थित थाना आकर तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा आवेदक के घर का ताला तोड़कर घर के कमरों में रखा पीतल / तांबा के बर्तन व अन्य समान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 355/2024 धारा 331(4)/305 भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 30.12.24 को उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय, उ0नि0 ननकूराम मय हमराह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 01.संतोष कुमार बिंद पुत्र छोटई बिंद निवासी ग्राम जंगीपुर थाना सरपतहां जनपद जौनपुर उम्र करीब 19 वर्ष, 02.आनंद कुमार बिंद पुत्र जोखू बिंद ग्राम जंगीपुर थाना सरपतहां जनपद जौनपुर उम्र 20 वर्ष को एक बाइक, एक अदद झपट्टामारी रियलमी नार्जो कम्पनी मोबाइल संबंधित मु0अ0सं0 380/24 अन्तर्गत धारा 304 बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़ व बरामदगी एक अदद कामर्शियल गैस सिलेण्डर व 1420 रुपये नगद संबंधित मु0अ0सं0 312/24 अन्तर्गत धारा 331(4)/305(e) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़ व बरामदगी दो अदद थाली, एक अदद लोटा, एक अदद गिलास सभी पीतल की संबंधित मु0अ0सं0 355/24 अन्तर्गत धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़ के साथ मिल्कीपुर अण्डरपास से समय 21.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. संतोष कुमार बिंद पुत्र छोटई बिंद निवासी ग्राम जंगीपुर थाना सरपतहां जनपद जौनपुर उम्र करीब 19 वर्ष
2. आनंद कुमार बिंद पुत्र जोखू बिंद ग्राम जंगीपुर थाना सरपतहां जनपद जौनपुर उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद झपट्टामारी रियलमी नार्जो कम्पनी मोबाइल

एक अदद कामर्शियल गैस सिलेण्डर व 1420 रुपये नगद

दो अदद थाली, एक अदद लोटा, एक अदद गिलास सभी पीतल

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 380/24 अन्तर्गत धारा 304 बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 380/24 अन्तर्गत धारा 304 बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 312/24 अन्तर्गत धारा 331(4)/305(e) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 355/24 अन्तर्गत धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़

02. थाना कोतवाली- कूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर 30 लाख रुपयें की धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

आवेदक राहुल कुमार गुप्ता एक्सिस बैंक ब्रांच मैनेजर पुत्र स्व0 त्रिलोकीनाथ गुप्ता निवासी रैदोपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि एक खाता संख्या 91301003xxxxx खाता धारक सलाहुद्दीन आजमी पुत्र स्व0 इजहारूल हक निवासी ककरहटा थाना कोतवाली आजमगढ़ जो एक एनआरआई थे तथा वर्ष 2017 से इंग्लैंड गये तथा 2022 मे मृत्यु हो गयी तथा भारत वापस नही आये। उसके बावजूद भी उनके खाते से लेन देन होता रहा , उनका मो0न0 व ईमेल बदल कर चेकबुक व एटीएम प्राप्त कर फर्जी हस्ताक्षर व कूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर 30 लाख रूपये का फ्राड किया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 659/23 धारा 419,420,467,468,471 भादवि बनाम अज्ञात दिनांक 19.11.23 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 31.12.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त मो0 शाहिद अंसारी पुत्र इकरामुद्दीन निवासी जे 32/13-1ए कच्ची बाग आजादपार्क पीली कोठी थाना जैदपुरा जिला वाराणसी उम्र 31 वर्ष को थाना स्थानीय से समय 13.30 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

03.थाना कप्तानगंज- दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 31.12.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी प्रिंस सिंह उर्फ प्रदीप पुत्र राधेश्याम सिंह निवासी ग्राम- विरैता थाना जयसिंहपुर जनपद- सुल्तानपुर द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाकर अश्लिल वीडियो बनाया गया तथा वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-428/24 धारा- 376, 323, 506 भादवि पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 31.12.24 को थानाध्यक्ष विवेक पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रिंस सिंह उर्फ प्रदीप पुत्र राधेश्याम सिंह निवासी ग्राम विरैता थाना जयसिंहपुर जनपद- सुल्तानपुर उम्र लगभग वर्ष को कौड़िया बाजार से नियमानुसार समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।